संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / अ.प्र. / सेल–6 / एफ–201 / 2017 / भोपाल, दिनांक / /2017

प्रति,

1.समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
2.समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , मध्यप्रदेश।
3.समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषयः–मानव अधिकार आयोग का प्रकरण क्र.8443 / 5 / रीवा / 09 दिनांक 28 / 11 / 2011 "प्रसूता श्रीमती सुनीता त्रिपाठी की मृत्यु बाबत्।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्र / 4 / आयोग / 2017 / 912 / दि.05 / 08 / 2017

––––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदंर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त मानव अधिकार आयोग प्रकरण में सामने आये तथ्यों में आयोग में पाया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन के विरूद्ध बिना किसी प्रर्याप्त आधार के अपने प्रतिवेदन में किसी प्रकार की लापरवाही न होना वार्णित कर दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवता वे अधिनस्थों का बचाव करना चाहते थे। (मा.अ.आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं की छायाप्रति संलग्न)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी मामले में त्रुटि पाई जाने पर संबंधित के विरूद्ध तत्काल उचित एवं निष्पक्ष कार्यवाही की जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक(अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,म.प्र

पृ. क्रमांक / अ.प्र. / सेल–6 / एफ–201 / 2017 / 1402 भोपाल, दिनांक 21 / 3 / 2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक, आयोग, स्था,कार्या, की ओर पत्र क्रमांक / 4 / आयोग / 912 दिनांक 05 / 08 / 2017 के संदर्भ में।
5. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. श्री थामस, कम्प्यूटर कक्ष स्थानीय कार्यालय की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त संचालक(अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,म.प्र

ई-मेल-ha.dhs@mp.gov.in/ hospital.mphealth@gmail.com

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

EMAIL ID : ayogsection.dhs@gmail.com

क्रमांक 4/आयोग/2017/912 भोपाल, दिनांक 05/08/2017

प्रति

संयुक्त संचालक,
अस्पताल प्रशासन,
स्थानीय कार्यालय।

विषयः—मानव अधिकार आयोग का प्रकरण क्रमाक 8443/5/रीवा/09 दिनांक 28.11.2011 "प्रसूता श्रीमती सुनीता त्रिपाठी की मृत्यु बाबत।

==00==

उपरोक्त विषयान्तर्गत सर्दभित पत्र का अवलोकन करे। मानव अधिकार आयोग का प्रकरण क्रमाक 8443/5/रीवा/09 दिनांक 28.11.2011 "प्रसूता श्रीमती सुनीता त्रिपाठी की मृत्यु के उपरांत आयोग की अनुशंसा के सरल क 19 के **बिन्दु क्रमांक 02** में लेख किया गया है कि शासन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है , कि किसी भी मामले में त्रुटि पाये जाने पर सबंधित के विरूद्व तत्काल उचित कार्यवाही की जावें और ऐसा कोई प्रयास न किया जावे जिससे यह प्रतीत हो कि जिसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा त्रुटिकर्ता अधीनस्थ कनिष्ठ को जान बुझकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में आयोग यदि वरिष्ठ अधिकारियो के विरूद्व यह पाया जावेगा कि उसके द्वारा अपने कनिष्ठ को जानबुझ कर बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके विरूद्व धारा 16 मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी कर अनुशंसा की जावेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि आयोग की अनुशंसा के बिन्दु 2 पर आवश्यक निर्देश जारी कर म.प्र. शासन एंव मानव अधिकार आयोग को अवगत कराते हुये एक प्रति आयोग शाखा को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संचालक आयोग द्वारा अनुमोदित।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

उपसंचालक,(आयोग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठ क्रमांक 4/आयोग/2017/ भोपाल, दिनांक /08/2017

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ।

1. उप सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल का पत्र क्रमांक/28211/8443/रीवा/09/दिनांक 26.10.2016।

उपसंचालक,(आयोग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(ZK) Ayog Letter (20-07-17)

पूर्व पृष्ठ से:—

आयोगों और साथ में मानव अधिकार आयोग के समक्ष शिकायतों में कमी आ सकेगी तथा सुशासन स्थापित होगा।

18. उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के विरूद्ध उनकी कार्यवाही के संबंध में जॉच की जाना आवश्यक है और शासन इस संबंध में उचित कार्यवाही कर सकता है । चूंकि धारा—16 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डॉ. बी.एन.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के विरूद्ध नोटिस जारी नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध सीधे—सीधे कोई अनुशंसा आयोग द्वारा नहीं की जा रही है ।

19. उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत जो अंतिम स्थिति पायी गई , उसके संबंध में निम्नलिखित अनुशंसायें की जाती हैं :—

(1) श्रीमती सावित्री तिवारी, एल.एच.वी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नईगढ़ी, जिला रीवा द्वारा श्रीमती सुनीता त्रिपाठी के प्रसव के लिये जो लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही की गई और जिसके कारण श्रीमती सुनीता त्रिपाठी की मृत्यु हुई तथा उसके जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधी मानव अधिकार का हनन हुआ, उसके लिए शासन

निरंतर.....

क्र. 3968-उमपाअआपो-27-8-2009-60,000

(3)

प्रकरण कमांक 8443/रीवा/09

पूर्व पृष्ठ से:–

14.11.11 तक अन्य कोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर रीवा में पदस्थ रहा हो तो उसके विरूद्ध शासन जॉच कर सकता है कि आयोग को समय पर जानकारी न देने या चाहे गये तथ्यों के संबंध में स्थिति जान–बूझकर स्पष्ट न करने एवं जॉच अधिकारी के प्रतिवेदन के विपरीत बिना किसी पर्याप्त आधार के उनके द्वारा अपना मत क्यों दिया गया तथा उचित पाया जावे तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

20. उपरोक्त अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन आयोग को दो माह में भेजा जावे ।

Sd/-

(जस्टिस ए.के. सक्सेना)
कार्यवाहक अध्यक्ष
28.11.2011